

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 18, 2004/वैशाख 28, 1926

No. 453]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 18, 2004/VAISAKHA 28, 1926

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2004

का.आ. 597(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 710(अ), तारीख 18 जून, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसचना के उप पैरा में ''क्रम संख्या 1'' शब्द और अंक के स्थान पर ''क्रम संख्या 13'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. एन एच-14012/7/2003-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव

पाद टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित किए गए और अंतिम बार का.आ. 710(अ), तारीख 18 जून, 2003 द्वारा संशोधित किए गए।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2004

S.O. 597(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 710(E), dated the 18th June, 2003, namely:—

In the sub-paragraph of the said notification, for the words and figure "serial number 1", the words and figures "serial number 13" shall be substituted.

[F. No. NH-14012/7/2003-P&M]

INDU PRAKASH, Director General (Road Development) and Spl. Secy.

Foot Note:—The principal notification was published in the Gazette of India *vide* S.R.O. 1181, dated 4th April, 1957 and last amended *vide* No. S.O. 710(E), dated 18th June, 2003.

1589 GI/2004